न्यायालय श्री प्रवीर कुमार , माननीय अध्यक्ष, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ
वाद संख्या:- REV/285/2016/मुरादाबाद
श्रीमती जसवीर कौर आदि बनाम श्रीमती इसरार जहां
अंतर्गत धारा:- 219, अधिनियम :- उ०प्र० भू-राजस्व अधिनियम,1901
आदेश तिथि:- 05/10/2017

बहस की तिथि 30.08.2017

वादी के अधिवक्ता श्री शशि भूषण मिश्रा

प्रतिवादी के अधिवक्ता श्री सुनील अवस्थी

श्री विपिन अवस्थी

आदेश

यह निगरानी धारा-219 उ0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम 1901 के तहत अपर आयुक्त (प्रशासन) मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद द्वारा निगरानी सं0-201513000107 में पारित आदेश दिनाँक 20.01.2016 के विरुद्ध योजित की गयी है।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना एवं उनकी ओर से प्रस्तुत लिखित बहस तथा अवर न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों का अवलोकन किया।

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि उपजिलाधिकारी मुरादाबाद के न्यायालय में मोहम्मद जान पुत्र करीमुल्ला ने धारा-33/39 भू-राजस्व अधिनियम 1901 के तहत वर्ष 1997 में वाद इस आशय से योजित किया कि वह आराजी सं0-311अ रकबा 0.19 एकड़, जो बराबर 0.077हे0 होता है, का संक्रमणीय भूमिधर है तथा काबिज व दाखिल है। वर्ष 1392-1397फ. में उक्त आराजी पर उसका नाम सही दर्ज था, परन्तु 1398-1403फ0 की खतौनी बनाते समय सम्बन्धित लेखपाल ने भूलवश उक्त आराजी पर प्रार्थी की वल्दियत करीमुल्ला निवासी मोहल्ला असालतपुरा मुरादाबाद के स्थान पर मोहम्मद खलील निवासी मोहल्ला भट्टी मुरादाबाद दर्ज कर दिया है, जो त्रुटिपूर्ण है, जिसे दुरुस्त किया जाय।

उपजिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित पक्षकारों को नोटिस व इश्तेहार जारी किया गया व तहसीलदार से जांच आख्या भी प्राप्त की गयी।

तहसीलदार मुरादाबाद ने अपनी जांच आख्या दिनाँक 14.07.1997 को प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने उल्लेख किया कि खतौनी वर्ष 1392-1397फ0में मोहम्मद जान पुत्र करीमुल्ला निवासी मोहल्ला असालतपुरा मुरादाबाद दर्ज है,परन्तु वर्ष 1398-1403फ0 की खतौनी बनाते समय मोहम्मद जान की वल्दियत मोहम्मद खलील अंकित कर दी गयी और उसका पता मोहल्ला भट्टी कर दिया गया,जबकि वल्दियत व पता बदलने के सम्बन्ध में कोई आदेश नहीं

है। मोहम्मद जान की वल्दियत खलील के स्थान पर करीमुल्ला और पते के स्थान पर मोहल्ला भट्टी के स्थान पर मोहल्ला असालतपुरा अंकित किये जाने की संस्तुति किया।

उपजिलाधिकारी मुरादाबाद ने तहसीलदार की आख्या व पत्रावली पर उपलबध साक्ष्यों के परीक्षणोपरान्त दिनाँक 13.08.1997 को कागजात दुरुस्ती का आदेश पारित कर दिया।

उपजिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनाँक 13.08.1997 से क्षुब्ध होकर श्रीमती इसरार जहां विधवा मोहम्मद नोमान ने उपजिलाधिकारी मुरादाबाद के न्यायालय में दिनाँक 23.04.2014 को पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र योजित किया, जिस पर सुनवाई उपरान्त उन्होंने अपने आदेश दिनाँक 03.11.2014 के द्वारा पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र इस आधार पर निरस्त कर दिया कि प्रार्थिनी द्वारा मोहम्मद जान पुत्र मोहम्मद खलील की मृत्यु अपने पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र में दिनाँक19.03.1961को होना अंकित किया है। उनकी मृत्यु के उपरान्त प्रार्थिनी के पति मोहम्मद नोमान को विवादित आराजी के मालिक व काबिज बतौर संक्रमणीय भूमिधर होना बताया है,जिन्होंने विवादित आराजी का हिब्बा जुबानी बरकत निकाह दिनाँक 27.05.1975 को उनके पक्ष में किया जाना बताया है। परन्तु मोहम्मद जान की मृत्यु दिनाँक 19.03.1961 को हो जाने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया है और न ही मोहम्मद जान पुत्र खलील के वारिसान का कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया है। विवादित भूमि के सम्बन्ध में पारित आदेश दिनाँक 13.08.1997 का है, तब प्रार्थिनी के पति मोहम्मद नोमान के द्वारा लगभग 30वर्षों तक मृतक मोहम्मद जान पुत्र खलील के स्थान पर राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज कराने की कोई कार्यवाही क्यों नहीं की गयी। इसके अतिरिक्त विवादित भूमि की खतौनी वर्ष 1398-1403फ0 में गाटा सं0-311अ रकबा 0.077हे0 पर मोहम्मद जान पुत्र मोहम्मद खलील अंकित है जिसको आदेश दिनाँक 13.08.1997 के द्वारा पूर्व खतौनी 1392-97 फ0 के अनुसार मोहम्मद जान पुत्र करीमुल्ला संशोधन किया गया है। कालान्तर में हुए नामान्तरणों के फलस्वरूप वर्तमान खतौनी 1416-1421फ0 में मतलूब खां के स्थान पर श्रीमती जसवीर कौर पत्नी कुलविन्दर सिंह का नाम तथा याकूब खां, मोबिन खां, मोहम्मद याकूब अली का नाम अंकित हो चुके हैं। पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र दिनाँक 23.04.2014 को लगभग 17 वर्षो के बाद तृतीय पक्षकार द्वारा योजित किया गया है, जो अत्यधिक कालबाधित है।

उपजिलाधिकारी सदर मुरादाबाद द्वारा पारित आदेश दिनाँक 03.11.2014 से क्षुब्ध होकर श्रीमती इसरार जहाँ ने अपर आयुक्त (प्रशासन) मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद के न्यायालय में धारा-219 उ0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम 1901 के तहत निगरानी योजित की। जिस पर उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के उपरान्त अपर आयुक्त (प्रशासन) मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद ने अपने आदेश दिनाँक 20.01.2016 के द्वारा निगरानी स्वीकार करते हुए उपजिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनाँक 03.11.2014 निरस्त कर दिया तथा पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र दिनाँक 23.04.2014स्वीकार करते हुए पूर्व पारित एकपक्षीय आदेश दिनाँक 13.08.1997 निरस्त कर वाद उभयपक्षों को साक्ष्य का अवसर देते हुए सुनवाई हेतु अवर न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया।

निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि मोहम्मद जान पुत्र करीमुल्ला ने उनके पक्ष में पंजीकृत

बैनामा किया है तथा बैनामें के आधार पर उनके पक्ष में नामान्तरण आदेश दिनाँक 30.05.1998 को पारित हो चुका है जिसकी अमलदरामद 1405फ0 की खतौनी में दर्ज है और तब से निगरानीकर्ता का नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज चला आ रहा है। विपक्षी श्रीमती इसरार जहां ने लगभग 17वर्ष बाद दिनाँक 23.04.2014 को अत्यधिक कालबाधित पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र आदेश दिनाँक 13.08.1997 के विरुद्ध योजित कर कथन रखा कि मेरे ससुर मोहम्मद जान पुत्र खलील निवासी मोहल्ला भट्टी मुरादाबाद की मृत्यु दिनाँक 19.03.1961 को हो गयी थी और तब से प्रार्थी के पति मोहम्मद नोमान विवादित भूमि पर काबिज थे। उनके द्वारा उक्त आराजी का हिब्बा जुबानी बरकत निकाह दिनाँक 27.05.1975 को प्रार्थिनी को किया गया था। यह आदेश दिनाँक 13.08.1997 एकपक्षीय आदेश पारित किया गया है, जिसे निरस्त किया जाय। उपजिलाधिकारी ने पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र दिनाँक 03.11.2014 को निरस्त कर दिया। उपजिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनाँक 03.11.2014से क्षुब्ध होकर विपक्षी श्रीमती इसरार जहां ने अपर आयुक्त (प्रशासन) मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद के न्यायालय में निगरानी योजित की, जिसमें कथन रखा कि उपजिलाधिकारी ने एकपक्षीय आदेश दिनाँक 13.08.1997 पारित किया था जिसके विरुद्ध उन्होंने पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र योजित किया, जो अवैधानिक रूप में दिनाँक 03.11.2014 को निरस्त कर दिया गया।

उनका यह भी कथन है कि अपर आयुक्त के न्यायालय में निगरानी योजित होने की जानकारी होने पर उन्होंने सर्वप्रथम अपनी आपत्ति दिनाँक 08.05.2015 को प्रस्तुत कर कथन रखा कि निगरानी में विपक्षी सं0-2 मोहम्मद मोमीन खां पुत्र महमूद खां की मृत्यु दिनाँक 19.08.2004 को तथा विपक्षी सं0-3 मोहम्मद याकूब पुत्र अहमद बक्श की मृत्यु दिनाँक 18.12.2008 को हो चुकी है। वर्तमान निगरानी मृतक व्यक्ति को पक्षकार बनाकर योजित की गयी है, जो चलने योग्य नहीं है, निरस्त किया जाय। अपर आयुक्त ने बिना उनकी आपत्ति का निस्तारण किये ही निगरानी को अन्तिम निस्तारण हेतु नियत कर दिया।

उनका यह भी कथन है कि अपर आयुक्त ने अपने में निहित क्षेत्राधिकार का दुरुपयोग कर 19 वर्ष पुराने आदेश को विधि के विपरीत निरस्त कर दिया। अतः निगरानी स्वीकार की जाय तथा अपर आयुक्त द्वारा पारित अवक्षेपित आदेश दिनाँक 20.01.2016 निरस्त किया जाय।

प्रतिवादी के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि आराजी सं0-438, 441, 442, 98, 99, 100 खाता खेवट सं0-94 के दर्ज खातेदार हाजी मोहम्मद याकूब थे। हाजी मोहम्मद याकूब से उक्त नम्बरों का बैनामा प्रार्थिनी के ससुर मोहम्मद जान पुत्र खलील निवासी मोहल्ला भट्टी मुरादाबाद ने अपने पक्ष में दिनाँक 25.02.1929 को पंजीकृत कराया। आराजी सं0-437 मि0 खाता खेवट सं0-50 के दर्ज खातेदार अकील पुत्र शेरा इलाही थे, जिनके द्वारा उक्त भूमि का बैनामा प्रार्थी के ससुर मोहम्मद जान पुत्र खलील निवासी मोहल्ला भट्टी मुरादाबाद के पक्ष में दिनाँक 15.08.1934 को किया गया। उक्त बैनामा में वर्णित आराजी का पुराना गाटा सं0-437/0.07डि0, 438/0-16डि0, 439/0-15 डि0 से नया गाटा सं0-311अ बना है। उक्त गाटों के सम्बन्ध में 1358-1359-1374-1379फ0 की खतौनी अभिलेखागार में उपलब्ध नहीं है तथा 1380-1385फ0 की खतौनी अभिलेखागार में उपलब्ध है जिसमें प्रार्थी के ससुर

मोहम्मद जान पुत्र खलील निवासी मोहल्ला भट्टी मुरादाबाद का नाम दर्ज है। विपक्षी द्वारा नाम की एकरूपता का फायदा उठाकर राजस्व कर्मचारियों से मिलीभगत कर खतौनी फसली वर्ष 1392-1397फ0 में गाटा सं0-311अ पर मोहम्मद जान पुत्र करीमुल्ला निवासी असालतपुरा, मुरादाबाद बिना किसी आधार के दर्ज करा लिया गया। उनका यह भी कथन है कि विपक्षी मोहम्मद जान पुत्र करीमुल्ला ने धारा-33/39 का प्रार्थना-पत्र योजित कर एकपक्षीय रूप से अपने पक्ष में कागजात दुरुस्ती का आदेश दिनाँक 13.08.1997 को पारित करा लिया। तत्समय विवादित भूमि का बैनामा वर्तमान निगरानीकर्तागणों के पक्ष में निष्पादित किया गया तथा एकपक्षीय नामान्तरण आदेश भी पारित करा लिया। धारा-33/39 में पारित आदेश दिनाँक13.08.1997की जानकारी होने पर उन्होंने पुनर्स्थापन प्रार्थना-पत्र दिनाँक 23.04.2014 को योजित किया, जिसे उपजिलाधिकारी ने दिनाँक 03.11.2014 को निरस्त कर दिया। उपजिलाधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनाँक 03.11.2014 से क्षुब्ध होकर उन्होंने अपर आयुक्त के न्यायालय में निगरानी योजित की। जिस पर उभयपक्षों को सुनने के उपरान्त उन्होंने अपने आदेश दिनाँक20.01.2016के द्वारा निगरानी स्वीकार करते हुए उपजिलाधिकारी द्वारा पारित अवक्षेपित आदेश निरस्त कर दिया तथा वाद गुण-दोष के आधार पर सुनवाई हेतु अवर न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर दिया। अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश के क्रम में परीक्षण न्यायायल में वाद की सुनवाई होनी है जहां पर उभयपक्षों को साक्ष्य एवं सुनवाई का पूर्ण अवसर विद्यमान है। अतः अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश में किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है, निगरानी निरस्त की जाय।

उल्लेखनीय है कि यह वाद मूल रूप से उ0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम-1901 की धारा-33/39 के अन्तर्गत दायर किया गया था। उक्त अधिनियम की धारा-33 के अन्तर्गत वार्षिक रजिस्टर जिसे सामान्य भाषा में खतौनी (Record of Rights) कहा जाता है के निर्माण एवं रख-रखाव के सम्बन्ध में प्राविधान दिये गये हैं, जबकि उक्त अधिनियम की धारा-39 के अन्तर्गत इस वार्षिक रजिस्टर (खतौनी) में आ जाने वाली अशुद्धियों की शुद्धि सम्बन्धी प्राविधान हैं, जोकि निम्नवत् हैंः–

"39 वार्षिक पंजिका में अशुद्धियों की शुद्धि-(1) वार्षिक पंजिका में किसी अशुद्धि या उपेक्षा के सुधार के लिये प्रार्थना-पत्र तहसीलदार को दिया जायेगा।

(2) उप-धारा (1) के अन्तर्गत प्रार्थना-पत्र पाने पर या वार्षिक पंजिका में कोई अशुद्धि या उपेक्षा अन्यथा उसकी जानकारी में आने पर, तहसीलदार ऐसी जाँच करेगा जो आवश्यक प्रतीत हो और तब वह मामले को कलेक्टर के पास भेजेगा, जो धारा 40 के प्रावधानों के अनुसार विवाद का निर्णय करके, उसका निस्तारण करेगा।

<u>परन्तु इस उप-धारा का तात्पर्य कलेक्टर को हक के प्रश्न को अन्तर्विष्ट करने वाले किसी विवाद को निर्णीत करने की शक्ति प्रदान करना न होगा।</u>

(3) उ0प्र0 पंचायत राज अधिनियम, 1947 में किसी अन्य व्यवस्था के होने के बावजूद, उप-धारा (1) और (2) के प्रावधान प्रभावी होंगे।"

यहाँ पर यह भी इंगित करना उचित होगा कि असामियों/भूमिधरों के मालिकाना हक/स्वत्व निर्धारण हेतु उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 की धारा-229ख के अन्तर्गत प्राविधान किया गया है, जोकि निम्नवत् हैः-

"229-ख किसी जोत अथवा उसके भाग का असामी होने का दावा करने वाले व्यक्ति द्वारा घोषणात्मक वाद-(1)किसी जोत अथवा उसके भाग का अकेला अथवा किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से असामी होने का दावा करने वाला कोई भी व्यक्ति, यथास्थिति, ऐसी जोत या भाग में असामी के रूप में अपने अधिकारों की घोषणा के लिए जोतदार के विरुद्ध वाद योजित कर सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन किसी वाद में अन्य व्यक्ति को, जो जोतदार के अधीन असामी होने का दावेदार हो, प्रतिवादी के रूप में शामिल किया जायेगा।

(3) उपधारा (1) और (2) के प्रावधान, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा चलाये गये वाद पर भी लागू होंगे, जो (भूमिधर) होने का दावेदार हो, किन्तु उस दशा में यह संशोधन किया जायेगा कि इन उपधाराओं के "शब्द जोतदार" के स्थान पर शब्द राज्य सरकार और (गांव सभा) रख दिये जायेंगे।"

वर्तमान में प्रभावी राजस्व संहिता-2006 में वार्षिक रजिस्टर के स्थान पर अधिकार अभिलेख (खतौनी) (Record of Rights) शब्दावली का प्रयोग किया गया है। राजस्व संहिता-2006 की धारा-31 में उक्त अधिकार अभिलेख को रखे जाने व धारा-32में उक्त अभिलेखों को ठीक करने के सम्बन्ध में प्राविधान किये गये हैं। राजस्व संहिता-2006 की धारा-32 निम्नवत् हैः-

" 32 अभिलेखों को ठीक करना-(1) कलेक्टर के नियन्त्रण अधीन रहते हुए, उप जिलाधिकारी, तहसीलदार या राजस्व निरीक्षक इस अध्याय में आगे उपबन्धित रीति से अधिकार अभिलेख (खतौनी), क्षेत्र पंजी (खसरा) और मानचित्र में समस्त परिवर्तनों को जो घटित हों और ऐसे अन्य समस्त संव्यवहारों को जिनका किन्हीं अभिलिखित अधिकारों या हितों पर प्रभाव पड़े, अभिलिखित करेगा और उनमें किन्हीं ऐसी गलतियों को ठीक करेगा जिनके बारे में यह साबित हो जाए कि वह पहले तैयार किए गए अभिलेख में की गयी थीं।

परन्तु यह कि नक्शा में संशोधन का आदेश कलेक्टर द्वारा पारित किया जायेगा।

(2) उपधारा (1) के अधीन गलतियों को ठीक करने के लिए कोई आवेदन, जहां दावा एक मात्र कब्जे पर आधारित हो और उसमें हक का जटिल प्रश्न अन्तग्र्रस्त हो, रखे जाने योग्य नहीं होगा। "

उ0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम-1901 की धारा-39(2) व वर्तमान में लागू राजस्व संहिता-2006 की धारा-32(2), दोनों के ही अवलोकन से स्पष्ट है कि इन धाराओं के अन्तर्गत मालिकाना हक/स्वत्व निर्धारण के प्रश्न को अन्तर्विष्ट करने वाले/रखे जाने वाले वादों को निषेधित किया गया है व इन धाराओं के अन्तर्गत इस प्रकार के विवादों को निर्णीत करने की कार्यवाही नहीं की जा सकती। धारा-33/39 के अन्तर्गत अभिलेखों को शुद्धीकृत करने की कार्यवाही एक सरसरी कार्यवाही (Summary Proceeding) जिसके अन्तर्गत मालिकाना हक/स्वत्व निर्धारण किया जाना अपेक्षित/अभीष्ट नहीं है। यदि कोई व्यक्ति किसी वर्षों पुरानी घटना अथवा पुराने बैनामे/अभिलेख आदि के आधार पर अपना नाम भूमिधर के रूप में दर्ज कराना चाहता है तो उसके द्वारा उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 की धारा-229-ख के अन्तर्गत नियमित वाद (Regular Suit) दायर किया जाना चाहिए।

इसी प्रकार राजस्व संहिता-2006 की धारा-32(2) के अवलोकन से भी यह स्पष्ट है कि ऐसे प्रकरण जहां हक का जटिल प्रश्न अन्तर्ग्रस्त हो, को उक्त धारा 32(2) के अन्तर्गत निर्णीत नहीं किया जा सकता। ऐसे प्रकरणों में राजस्व संहिता-2006 की धारा-144 के अन्तर्गत नियमित घोषणात्मक वाद दायर किया जाना चाहिए तथा विधिवत् वाद बिन्दुओं का निर्धारण कर व सम्बन्धित पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने व सुनवाई का पूर्ण अवसर देते हुए वाद का गुण-दोष के आधार पर निस्तारण किया जाना चाहिए।

राजस्व संहिता-2006 की धारा-144 निम्नवत् हैः-

"144. खातेदार द्वारा घोषणात्मक वाद-(1) कोई व्यक्ति, जो कि किसी जोत या उसके भाग का, चाहे अनन्य रूप से या किसी अन्य व्यक्ति के साथ संयुक्त रूप से भूमिधर या असामी होने का दावा करे, ऐसी जोत या उसके भाग में अपने अधिकार की घोषणा के लिए वाद ला सकता है।

(2) उपधारा (1) के अधीन प्रत्येक वाद में, जो

(क) किसी भूमिधर द्वारा या उसकी ओर से संस्थित किया गया हो, राज्य और ग्राम पंचायत आवश्यक पक्षकार होगा।

(ख) किसी असामी द्वारा या उसकी ओर से संस्थित किया गया हो, भूमिधारक आवश्यक पक्षकार होगा।"

राजस्व अधिनियमों में उपरोक्तानुसार सुस्पष्ट प्राविधानों के बावजूद देखा जा रहा है कि अनेकों प्रकरणों में पक्षकारों द्वारा उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 की धारा-229-ख के अन्तर्गत नियमित वाद (Regular Suit) दायर न करके उ0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम-1901 की धारा-33/39 के अन्तर्गत वाद दायर कर दिया जाता है व विवादित भूमि पर मालिकाना हक प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इस प्रथा/प्रयास को किसी भी दशा में उचित नहीं ठहराया जा सकता। यह न केवल विधि-विरुद्ध है अपितु न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग भी है,जिसके कारण अभिलेख शुद्धीकरण हेतु की जाने वाली सरसरी कार्यवाही (Summary Proceeding) वर्षों व कई बार कई दशकों तक लम्बित रह जाती है। उ0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम-1901 की धारा-33/39 व राजस्व संहिता-2006 की धारा-32 का दायरा अत्यन्त सीमित है व इन धाराओं के अन्तर्गत केवल सामान्य प्रकृति की ऐसी त्रुटियों का ही संशोधन किया जाना अभीष्ट होता है जोकि विगत खतौनी से मिलान करने पर अथवा बैनामा/वसीयत आदि अभिलेखों के अवलोकन से स्पष्ट दिखायी दे रही हो।

उल्लेखनीय है कि राजस्व अधिनियमों में राजस्व अभिलेखों, जैसे खतौनी (अधिकार अभिलेख), मानचित्र व खसरा (क्षेत्र पंजी) आदि के रख-रखाव एवं उन्हें अद्यावधिक रखने का उत्तरदायित्व सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों को दिया गया है व उनसे अपेक्षा की गयी है कि वे इन अभिलेखों में जाने-अनजाने में आयी सामान्य प्रकृति की त्रुटियों को सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत सरसरी कार्यवाही (Summary Proceeding) के माध्यम से शुद्धीकृत करें ताकि सम्बन्धित पक्षकारों/ग्रामवासियों को त्वरित न्याय प्राप्त हो सके और राजस्व अभिलेख भी शुद्ध एवं अद्यतन रहें। इसी उद्देश्य से शासन द्वारा प्रतिवर्ष राजस्व अधिकारियों को, फील्ड अधिकारी के रूप में कार्य करते हुए, अपने शीतकालीन भ्रमण के दौरान ग्राम में ग्राम राजस्व समिति के सदस्यों व अन्य ग्रामवासियों के बीच खतौनी को सार्वजनिक रूप से पढ़े जाने के निर्देश दिये जाते हैं, ताकि खतौनी में प्रकाश में आयी सामान्य प्रकृति की त्रुटियों को, स्थानीय जांच व ग्राम राजस्व समिति के सदस्यों और पक्षकारों से पूछताछ करके व सम्बन्धित राजस्व अधिकारियों की आख्या प्राप्त कर, मौके पर ही दुरुस्त/शुद्धीकृत कर दिया जाय।

उल्लेखनीय है कि राजस्व वादों में रेवेन्यू कोर्ट मैनुअल के अनुसार कार्यवाही की जाती है, तथा सरसरी कार्यवाही (Summary Proceeding) के प्रकरणों में सिविल प्रक्रिया संहिता-1908 के समस्त प्राविधान यथावत् लागू नहीं होते,बल्कि कुछ-एक सुसंगत प्राविधान ही राजस्व न्यायालयों पर लागू होते हैं। अतः राजस्व न्यायालयों द्वारा सरसरी कार्यवाही (Summary Proceeding) को नियमित वादों (Regular Suits) की भाँति चलाया जाना व दीर्घ अवधि तक लम्बित रखा जाना उचित नहीं है।

उपरोक्त के परिप्रेक्ष्य में खतौनी में किये जाने वाले ऐसे संशोधन जिनके लिए वर्षों पुराने अभिलेखों

अथवा घटनाओं को आधार बनाया गया हो और उनके आधार पर अभिलेख शुद्धीकरण की आड़ में मालिकाना हक/स्वत्व प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा हो, को उ0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम-1901 की धारा-33/39 अथवा राजस्व संहिता-2006 की धारा-32 के अन्तर्गत विचार किया जाना व निर्णीत किया जाना उचित नहीं है। राजस्व न्यायालयों से अपेक्षित है कि इस प्रकार के प्रकरणों में उ0प्र0भू-राजस्व अधिनियम-1901 की धारा-33/39 अथवा राजस्व संहिता-2006 की धारा-32 के अन्तर्गत प्रचलित सरसरी कार्यवाही को सम्बन्धित पक्षकार/आवेदक को इस परामर्श के साथ समाप्त कर दिया जाय कि वे अपना दावा नियमित घोषणात्मक वाद के रूप में, यथास्थिति, उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम-1950 की धारा-229-ख अथवा राजस्व संहिता-2006 की धारा-144 के अन्तर्गत प्रस्तुत करें। उ0प्र0 भू-राजस्व अधिनियम-1901 की धारा-33/39 अथवा राजस्व संहिता-2006 की धारा-32 के अन्तर्गत प्रचलित सरसरी कार्यवाही को अनावश्यक वर्षों तक लम्बित रखा जाना कदापि उचित नहीं है।

जहाँ तक वर्तमान प्रकरण का प्रश्न है, उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने एवं उनकी ओर से प्रस्तुत लिखित बहस तथा अवर न्यायालयों द्वारा पारित आदेशों व अवर न्यायालयों की वाद पत्रावलियों के परिशीलन/परीक्षणोपरान्त तथा उपरोक्त प्रावधानों के आलोक में मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि 1392-1397 फ0 वर्ष तक खतौनी में मोहम्मद जान पुत्र करीमुल्ला का नाम चला आ रहा था जो कि 1398-1403 फ0की नयी खतौनी बनाते समय किसी त्रुटिवश मोहम्मद जान पुत्र खलील अंकित हो गया,जिसके शुद्धीकरण हेतु उप जिलाधिकारी द्वारा धारा-33/39 के अन्तर्गत दिनांक 13-08-1997 को आदेश पारित किया गया। इस आदेश के लगभग 17 साल बाद प्रतिपक्षी इसरार जहां द्वारा अपने को वर्ष 1961 (फसली वर्ष 1368) में मृत मोहम्मद जान के पुत्र मोहम्मद नोमान की बेवा बताते हुए अत्यधिक कालबाधित पुनर्स्थापन वाद प्रस्तुत किया गया व उप जिलाधिकारी,सदर,मुरादाबाद द्वारा दिनांक 03-11-2014 को पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिये जाने पर उसके विरुद्ध अपर आयुक्त, मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद के न्यायालय में निगरानी दायर की गयी। अपर आयुक्त, मुरादाबाद द्वारा प्रकरण में हुए अत्यधिक विलम्ब की उपेक्षा करते हुए व लगभग50वर्ष पुराने दावों पर आधारित निगरानी को स्वीकार करते हुए प्रकरण को पुनः धारा33/39के अन्तर्गत ही निस्तारित किये जाने हेतु उप जिलाधिकारी को वापस कर दिया गया। अपर आयुक्त का यह आदेश किसी भी दशा में स्थिर रहने योग्य प्रतीत नहीं होता,क्योंकि न तो प्रकरण में विलम्ब का कारण स्पष्ट करने हेतु कोई आधार है और न ही इस प्रकार के जटिल प्रकरणों, जिनमें लगभग 50 वर्ष पुरानी घटनाओं/अभिलेखों के आधार पर अभिलेखों के शुद्धीकरण की आड़ में मालिकाना हक/स्वत्व प्राप्त करने का प्रयास किया जा रहा है, का निस्तारण उ0प्र0 भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा-33/39 के अन्तर्गत किया जा सकता है।

यदि वास्तव में मोहम्मद जान पुत्र मोहम्मद खलील की मृत्यु दिनाँक 19.03.1961 को हो गयी थी तो उनके पुत्र मोहम्मद नोमान अथवा उनकी बेवा प्रतिपक्षी इसरार जहां द्वारा तत्समय ही अपना दावा प्रस्तुत कर अपना नाम अभिलेखों में दर्ज कराने हेतु कार्यवाही की जानी चाहिए थी। लगभग 50वर्ष बाद पुनर्स्थापन वाद/अभिलेख शुद्धीकरण के माध्यम से अपना नाम अभिलेखों में अंकित कराये जाने का प्रयास सही नहीं ठहराया जा सकता। अतः उपजिलाधिकारी द्वारा पारित मूल आदेश दिनांक13-08-1997 व इस आदेश के विरुद्ध दायर पुनर्स्थापन प्रार्थना पत्र के निरस्तीकरण का आदेश दिनाँक 03.11.2014 विधिसम्मत आदेश हैं, जिनमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

अपर आयुक्त ने सरसरी तौर पर विधि के विपरीत निगरानी स्वीकार करते हुए वाद के प्रतिप्रेषण का आदेश पारित किया है, जो उपरोक्त विवेचना एवं तथ्यों के आलोक में स्थिर रहने योग्य नहीं है।

अतः यह निगरानी स्वीकार की जाती है तथा अपर आयुक्त (प्रशासन) मुरादाबाद मण्डल, मुरादाबाद द्वारा पारित अवक्षेपित आदेश दिनाँक 20.01.2016 निरस्त किया जाता है।

प्रतिवादी यदि चाहे, तो सक्षम न्यायालय में स्वत्व निर्धारण हेतु नियमित घोषणात्मक वाद योजित कर अनुतोष प्राप्त कर सकती है।

यदि इस न्यायालय द्वारा कोई स्थगन आदेश पारित किया गया है, तो उसे समाप्त किया जाता है।

अवर न्यायालयों का अभिलेख यथाशीघ्र वापस भेज दिया जाय।

पत्रावली दाखिल-दफ्तर हो।

(प्रवीर कुमार)

अध्यक्ष

05.10.2017